

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/ 58-1-2025 (197687)बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, अनुभाग लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद बरेली के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना-नवाबगंज,शहर, फतेहगंज पश्चिमी, मझगवां,भदपुरा एवं क्यारा में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के चयन हेतु मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर पात्र महिला अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं0	परियोजना का नाम	कुल रिक्त पदों की सं0	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण			कुल पद
			सामान्य/अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचितजाति/जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7
01	नवाबगंज	1	0	0	1	01
02	शहर	2	1	1	0	02
03	फतेहगंज पश्चिमी	2	2	0	0	02
04	मझगवां	2	1	0	1	02
05	भदपुरा	1	0	0	1	01
06	क्यारा	1	0	0	1	01
योग-		09	04	01	04	09

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी एवं अधिकतम योग्यता परास्नातक होगी।
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। कटऑफ डेट का निर्धारण दिनांक 01 जुलाई 2025 होगा/आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

चयन वरीयता

- (i) उसी ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
 - (ii) ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिका तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
 - (iii) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही-

- (i) उसी ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
 - (ii) ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिका तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
 - (iii) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
3. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/समबन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
 4. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा नर्गत शासनोदश संख्या-3959/1-9-11-रा0-9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका आनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

5. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका आनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
 6. गरीबी रेखा की आय सीमा का पुर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर 2025 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
 7. आवेदन पत्र विभागयी वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फार्मेट पर आनलाइन व सही-सही सावधनीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा आनलाइन फार्म में किया गया हो।
 8. आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 05 दिसम्बर 2025 होगी।
 9. कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑनलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाएंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
 10. रिक्त पदों का विवरण कलेक्ट्रेट परिसर, विकास भवन परिसर, तहसील परिसर, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के सूचना पट, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों के सूचना पट एवं विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर देखा जा सकता है।
- नोट:- रिक्तियों के सम्बन्ध में यदि कोई त्रुटि होगी तो चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।
रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

(मनोज कुमार)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बरेली।

कार्यालय:- जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास बरेली।

पत्रांक C- 2640

/जि0का0का0/चयन विज्ञप्ति/2025-26 दिनांक:- 15.11.2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
4. समस्त चयन समिति सदस्य जनपद बरेली।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद बरेली।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बरेली।
7. जिला सूचना अधिकारी जनपद बरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने की कृपा करें।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद बरेली को इस निर्देश के साथ कि रिक्त केन्द्रों की विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण कलेक्ट्रेट परिसर, तहसील परिसर, विकास भवन परिसर, एवं खण्ड विकास कार्यालय के सूचना पट एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चरसा करवाते हुए सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय बरेली को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।


15/11/2025
जिला कार्यक्रम अधिकारी
बरेली।